

छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर
// आदेश //

रायपुर दिनांक 05/01/2015

क्रमांक एफ 6-45/22-2/2014:: राज्य शासन एतद् द्वारा "सांसद आदर्श ग्राम योजना" (SAGY) योजनांतर्गत भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, का पत्र क्रमांक J-11012/1/2014-SAGY कृषि भवन, नई दिल्ली, दिनांक 08.12.2014 द्वारा जारी निर्देश की कंडिका-12 'ग' के अनुसार राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समिति का गठन करता है:-

1.	मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन	अध्यक्ष
2.	अपर मुख्य सचिव, छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव, छ.ग.शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	सदस्य
4.	सचिव, छ.ग.शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	सदस्य
5.	सचिव, छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग	सदस्य
6.	सचिव, छ.ग.शासन, राजस्व विभाग	सदस्य
7.	सचिव, छ.ग.शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	सदस्य
8.	सचिव, छ.ग.शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग	सदस्य
9.	सचिव, छ.ग.शासन, कृषि विभाग	सदस्य
10.	सचिव, छ.ग.शासन, वन एवं पर्यावरण विभाग	सदस्य
11.	सचिव, छ.ग.शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग	सदस्य
12.	विशेष सचिव, छ.ग.शासन, वित्त विभाग	सदस्य
13.	सचिव, छ.ग.शासन, उर्जा विभाग	सदस्य
14.	संचालक, जनसंपर्क	सदस्य
15.	संचालक, ग्रामोद्योग	सदस्य
16.	सचिव, छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य सचिव
17.	सिविल सोसायटी	2 आमंत्रित सदस्य

उपरोक्तानुसार गठित समिति के निम्नानुसार कार्य होंगे :-

1. "सांसद आदर्श ग्राम योजना" के दिशा-निर्देश प्रसारित करना। राज्य में संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य/जिला/ब्लाक तथा ग्राम पंचायत, स्तर पर विभागों के स्पष्ट भूमिका एवं उत्तरदायित्वों का निर्धारण करना।
2. ग्राम-कार्ययोजना की समीक्षा करना तथा यदि आवश्यक हो तो कार्ययोजना में परिवर्तन का सुझाव देना।
3. चयनित ग्राम में, कार्यों के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा करना तथा 'वेब' आधारित पर्यवेक्षण प्रणाली विकसित करना।
4. योजना के क्रियान्वयन में आ रही दिक्कतों को दूर करने में मदद करना तथा आवश्यक होने पर समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी करना।

5. आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय स्तर पर गठित "समिति" से समन्वय करना।
6. "आदर्श ग्राम" के भ्रमण करने के लिए समय सारिणी विकसित करना एवं अच्छे कार्यों के प्रचार-प्रसार की रूप रेखा बनाना।
7. जिले में जनशिकायत को दूर करने के लिए जिला स्तर पर तथा चार्ज ऑफिस स्तर पर (Mechanism) विकसित करना।
8. आवश्यकता हो तो माननीय सांसदों से संवाद/परिचर्चा कर, योजना के क्रियान्वयन में आ रहे गतिरोध, को दूर करना।

उपरोक्तानुसार गठित समिति की बैठक त्रैमासिक होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(शिखा राजपूत तिवारी)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
रायपुर, दिनांक 05/01/2015

पृ.क्रमांक एफ 6-48/22-2/2014
प्रतिलिपि:-

1. मान. मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. सुश्री अपराजिता सारंगी, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग (SAGY Division) कृषि भवन, नई दिल्ली के पत्र पत्र क्रमांक J-11012/1/2014-SAGY दिनांक 08.12.2014 के संदर्भ में सूचनार्थ।
4. उप सचिव, छ.ग.शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
5. स्टॉफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
6. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, छ.ग.शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
7. प्रमुख सचिव, छ.ग.शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
8. सचिव, छ.ग.शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
9. सचिव, छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
10. सचिव, छ.ग.शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
11. सचिव, छ.ग.शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
12. सचिव, छ.ग.शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
13. सचिव, छ.ग.शासन, कृषि विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
14. सचिव, छ.ग.शासन, वन एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
15. सचिव, छ.ग.शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
16. सचिव, छ.ग.शासन, उर्जा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।